संख्या-06/2025/3175/24-002-9बी-21-27-10

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 22 जनवरी, 2025

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में लेखाशीर्षक 4702 के अन्तर्गत अनुसंधान एवं सर्वेक्षण मद की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-5127/नलकूप/बजट/0415, दिनांक 20.12.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक 4702-101-04-0415-24 'अनुसंधान एवं सर्वेक्षण' मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 2,00,00,000/- (रूपये दो करोड़ मात्र) व्यय किए जाने हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

प्रश्नगत परियोजना/मद में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-85/2024/1463/24-001-9बी-21-27-10, दिनांक 11.06.2024 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी। वित्त विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्याः 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांकः 04 मार्च 2024 एवं यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 19 जून, 2024 में निर्धारित शर्तों /प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 094 **लेखा शीर्षक** 4702001010415 अनुसंधान एवं सर्वेक्षण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव

संख्या-06/2025/3175(1)/24-002-9बी-21-27-10, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(6) संबंधित मुख्य अभियन्ता (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, **द्वारा**- प्रमुख अभियन्ता(यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(7) मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, सी0एम0 आई0एस0 पोर्टल।
(8) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(9) अनु सचिव (लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ सिंचाई एवं जल संसाधन अनु0-9/नियोजन अनु0-3
(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(12) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।